प्रमाण पत्र

एन0एम0डी0सी0 लिमिटेड, आयरन एंड स्टील प्लांट नगरनार के द्वारा आई0टी0आई0 एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण किये जाने हेतु जिला बस्तर के बस्तर वन मण्डल के ग्राम चोकावाड़ा तहसील जगदलपुर के राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु कुल रकबा 9.80 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम् 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1/ प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि 9.80 हे0, जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम चोकावाड़ा तहसील जगदलपुर में स्थित है, में तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 02/11/2017 का प्रतिवेदन **(प्रदर्श–"ब")** पर दर्शित है।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत चोकावाड़ा के सरपंच की अध्यक्षता में हुई, ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02/11/2017 में रखा गया था। ग्राम सभा में ग्राम के 80 % सदस्य तथा ग्राम वन समिति के 08 सदस्य उपस्थित थे, जिनकों परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र उपरोक्त अधिनियम के तहत् वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0 में)
1	चोकावाड़ा	निरंक	निरंक

3/ यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए, उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4/ यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02/11/2017 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार " अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3(1)(म) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5/ ग्राम सभा के दिनांक 02/11/2017 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

दिनांक :– 20 /03/2018

(धनंजय देवांगन)
कलेक्टर
अध्यक्ष, जिला वन अधिकार समिति
जिला बस्तर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बस्तर (छ.ग.)